रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2005/चैत्र 16, 1927
No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2005/CHAITRA 16, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 218(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन* से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

दिल्ली जैव–विविधता फाउन्डेशन विनियम, 2004

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में जैव–विविधता स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और उनकी पारिस्थितिकीय, सौन्दर्यपरकता तथा सांस्कृतिक स्तर को बनाए रखने के लिए, अधिनियम की धारा 5–क के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन की स्थापना की है । फाउन्डेशन का कार्य इन विनियमों के अन्तर्गत शासित होगा ।

ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू होंगे ।

परिभाषाएं:–

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अथवा अर्थ के अनुसार, कुछ भी असंगत न हो :–

- 'अधिनियम' का अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है ।
- 'प्राधिकरण' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है ।
- 'दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 5–क के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा गठित समिति से है ।
- 'सदस्य' का अभिप्राय, दिल्ली जैव–विविधता फाउन्डेशन के सदस्यों से होगा ।

दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन के लिए उप–विधि

0.1 नाम:

फाउन्डेशन का नाम 'दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन' होगा, जिसे इसमें आगे 'फाउन्डेशन' कहा गया है ।

0.2 कार्यालयः

फाउन्डेशन का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन सी टी डी) में स्थित होगा ।

*भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली डिवीज़न) का अनुमोदन । पत्र संख्या के–20013/2/2002–डी.डी.वी.ए. दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा सम्प्रेषित ।

0.3 लक्ष्य और उद्देश्य

1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में समाज के लिए जैव विविधता विरासत एक पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्त्व रखने वाली प्राकृतिक विशेषताओं/परिसम्पत्तियों के संरक्षण, पुनरूद्धार और प्रबंध के लिए नीति बनाना तथा कार्यान्वयन करना ।

2 विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों का उनके पौधे, पशु और सूक्ष्म जैवीय समुदाय सहित पुनरूद्धार और प्रतिवलित करना ।

3 बाढ़ की संभावना वाले मैदानों, नम भूमियों के मोजेइक वाले वनों का विकास करना, जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करे और जलाशयों की गाद को रोकने, जल शुद्धिकरण और भूमिगत जल को रीचार्ज करने के अतिरिक्त जलीय, अनुवांशिक संसाधनों का परीक्षण कर सके ।

4 विशेष प्रकार के पत्थरों की प्रजातियों और संकटमय अन्य प्रजातियों का संरक्षण करना ।

5 किसी भी पर्यावास के जैव–विविधता को परिरक्षित करना, जिसके अब और भविष्य में शहरी विकास के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना हो ।

6 लुप्तमान थलचर प्रजातियों और जंगली आनुवांशिक संसाधनों के लिए फील्ड– जीन बैंकों का सृजन करना ।

7 पर्यावरणीय जागरूकता और प्राकृतिक संरक्षण की शिक्षा को बढ़ावा देना ।

8 अल्पावधि और दीर्धावधि पारिस्थितिक प्रणाली अनुसंधान को बढ़ावा देना ।

9 पारिस्थितिक–पर्यटन को बढावा देना ।

10 नगर की पर्यावरणीय सम्पत्तियों जैसे, नदी–मुहाना, पहाड़ियों, नगर वनों, मुख्य नालों के किनारों इत्यादि की रक्षा और सुधार करना ।

11 अन्य संबंधित ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जिन्हें फाऊन्डेशन द्वारा उपयुक्त समझा जाए ।

0.4 फाउन्डेशन का गठन

फाउन्डेशन के शासक निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली	सदस्य
4.	कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उनके नामित व्यक्ति	सदस्य
5.	अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
6.	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य

7.	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
8.	निदेशक, सी.ई.एम.डी.ई.	सदस्य
9.	आयुक्त(योजना), दि.वि.प्रा.	सदस्य
10.	सचिव (पर्यावरण एवं वन) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार	सदस्य
11.	निदेशक (भू–दृश्य), दि.वि.प्रा.	सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त फाउन्डेशन प्रख्यात वैज्ञानिकों, वनस्पति शास्त्रियों, प्राणी विज्ञानी, भू–दृश्य वास्तुकारों, पर्यावरणीय योजनाकारों, आई.ए.आर.आई और अन्य संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों से विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों से सदस्य सहयोजित करेगा । तथापि, सहयोजित सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं होगी ।

0.5 **फाउन्डेशन के कार्य:–**

फाऊन्डेशन निम्नलिखित कार्य करेगा :

क. राजधानी नगर के क्षेत्र में जैव विविधता स्थलों की पारिस्थितिक प्रणाली, सौंदर्यपरक सांस्कृतिक कोटि के सृजन, सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण अथवा प्रतिधारण, के लिए विनियमों के अंतर्गत आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों, संशोधनों अथवा छूटों के संबंध में तथा अन्य संबंधित मामलों में प्राधिकरण को सलाह देना ।

ख. समाज के लिए बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सौन्दर्यपरक और मनोरंजनात्मक लाभ वाले जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव–विविधता पार्कों की स्थापना । ये स्थल अल्पावधि और दीर्घावधि अनुसंधान के लिए प्रकृति रिज़र्व और फील्ड प्रयोगशालाओं के रूप में भी कार्य करेंगे ।

ग. अकेले अथवा अन्य संगठनों अथवा व्यक्तियों के साथ मिलकर ऐसे सभी अन्य कार्य करना जिन्हें फाउन्डेशन, लक्ष्यों की प्राप्ति में आनुषंगिक अथवा सहायक समझे ।

घ. प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा निर्णीत अन्य कार्य करना ।

0.6 **फाउन्डेशन की बैठक**

जब भी अपेक्षित हो, फाउन्डेशन की बैठकें आयोजित की जाएंगी । फाउन्डेशन को अपनी कार्य–पद्धति विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी । निदेशक (भू–दृश्य) सदस्य–सचिव के रूप में बैठकों का रिकार्ड रखेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगें ।

0.7 **फाउन्डेशन के अध्यक्ष की शक्तियां :–**

अध्यक्ष को, इन विनियमों के ढांचे के अन्तर्गत उपयुक्त समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी । तथापि, ये कार्रवाई फाउन्डेशन की अगली होने वाली बैठक की पुष्टि पर आधारित होगी ।

0.8 फाउन्डेशन के उपाध्यक्ष की शक्तियां

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समन्वय में कार्य करेंगे और फाउन्डेशन के सामान्य कार्यों को देखेंगे ।

0.9 फाउन्डेशन के सदस्य सचिव की शक्तियां

सदस्य सचिव, फाउन्डेशन के कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करेंगे ।

10. समिति का गठनः

क. कार्यकारिणी समिति

फाउन्डेशन के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	अध्यक्ष
2.	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
3.	अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
4.	निदेशक, सी.ई.एम.डी.ई.	सदस्य
5.	निदेशक(भू–दृश्य), दि.वि.प्रा.	सदस्य सचिव

कार्यकारिणी समिति, फाउन्डेशन द्वारा उसे दी जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

ख. फाउन्डेशन, फाउन्डेशन के उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और अन्य पहलुओं पर सलाह देने के लिए, विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों वाली एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकता है ।

ग. इसके अतिरिक्त, फाउन्डेशन, फाउन्डेशन द्वारा समय–समय पर चलाई जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की देखरेख एवं निष्पादन के लिए आवश्यक समझी गई किसी अन्य समिति का गठन कर सकता है ।

11. बजट, वित्त एवं लेखा :

1. फाउन्डेशन की स्थापना और उसके प्रचालन कार्यों पर होने वाला व्यय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारत सरकार, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदानों और ऋणों और दान इत्यादि से पूरा किया जाएगा ।
2. फाउन्डेशन के संबंध में संशोधित और बजट अनुमान, अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा ।
3. जैव–विविधता फाउन्डेशन खाते से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों और भुगतान के रिकार्ड के लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा ।

4. फाउन्डेशन, समुचित खातों और अन्य संबंधित रिकार्डों का अनुरक्षण करेगा और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में तुलन पत्र सहित खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

12. **खातों का परिचालन**

फाउन्डेशन का खाता वित्त सदस्य द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा ।

13. **व्यय करने की शक्तियां:**

फाउन्डेशन को, फाउन्डेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय–समय पर ऐसे व्यय संस्वीकृत करने की शक्तियां होगी, जो वह आवश्यक समझें ।

14. **स्टाफ की नियुक्ति हेतु शक्तियां**

जैव–विविधता फाउन्डेशन में सभी लिपिकीय स्टाफ और लेखा स्टाफ की तैनाती दि.वि.प्रा. के मौजूदा स्टाफ की पुनर्तैनाती से की जाएगी । तथापि, वैज्ञानिक कार्मिक अनुबंध आधार पर रखे जाएंगे, जिनका चयन, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा इस उद्देश्य हेतु नामित समिति द्वारा किया जाएगा ।

15. **लेखा परीक्षा:**

फाउन्डेशन के खातों की लेखा परीक्षा, दि.वि.प्रा. अधिनियम, 1957 के अनुसार कराई जाएगी ।

16. **बैठकों में भाग लेने के लिए मानदेय:**

फाउन्डेशन की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को, समय–समय पर यथा निर्णीत मानदेय दिया जाएगा ।

17. **विवाद :**

किसी भी विवाद पर उपराज्यपाल, दिल्ली जो फाऊन्डेशन के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा ।

18. **विधिक कार्यवाही**

फाउन्डेशन के विरूद्ध कोई भी मुकदमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा ।

19. **दि.वि.प्रा. अधिनियम, 1957 की प्रयोजनीयता**

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे ।

20. **निरसन और बचाव:**

इन उप–विधियों के प्रारंभ होने की तिथि को और तिथि से, फाउन्डेशन को शासित करने वाले सभी मौजूदा नियम निरस्त हो जाएंगे, किंतु फाउन्डेशन के लिए पहले से की गई कार्रवाई पर, उक्त निरस्ती (रिपील) का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं. पीए/डीआईआर (एल एस)/2005/273]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

1134 GI/05-2

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby makes, with the previous approval* of the Central Government, the following regulations, namely :—

DELHI BIO-DIVERSITY FOUNDATION REGULATIONS, 2004

With a view to safeguard, conserve, preserve and retain the ecological, aesthetical and cultural quality of Bio-Diversity sites in the National Capital Territory of Delhi, the Delhi Bio-Diversity Foundation is set up by Delhi Development Authority in exercise of its powers under Section 5-A of the Act. The business of the Foundation will be governed under these Regulations -

These Regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS:

In these regulations unless there is anything inconsistent with the context or meaning: -

- "Act" means the Delhi Development Act.1957 (61 of 1957).
- "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- "Delhi Bio-Diversity Foundation" means the Committee constituted by the Authority under Section 5-A of the Act.
- "Members" shall mean the Members of the Delhi Bio-Diversity Foundation.

BYE LAWS FOR THE DELHI BIO DIVERSITY FOUNDATION

01. NAME:
The name of the Foundation shall be 'Delhi Bio Diversity Foundation' herein after called the '**Foundation**'.

02. OFFICE:
The office of the Foundation shall be located in the National Capital Territory of Delhi (NCTD).

***Approval of the Government of India, Ministry of Urban Development(Delhi Division) communicated vide letter No.K-20013/2/2002-DDVA dated 31st December 2004**

03. AIMS AND OBJECTIVES:

(i) To frame and implement policies for the conservation, regeneration and management of the Bio Diversity heritage and other natural features / assets having ecological, cultural and educational significance for the society in the National Capital Territory of Delhi.

(ii) To regenerate and replicate the various eco-systems together with their plant, animal and microbial communities.

(iii) To develop flood plains, forests together with a mosaic of wetlands that serves as bird sanctuaries and preserves aquatic, genetic resources besides prevention of siltation of reservoirs, water purification and recharging of ground water.

(iv) To conserve the key stone species and other species that are threatened.

(v) To preserve the biodiversity of any habitat that is likely to be used for urban development now and/or in future.

(vi) To create field gene banks for the threatened land races and wild genetic resources.

(vii) To promote education on environmental awareness and nature conservation.

(viii) To promote short and long term eco-system research.

(ix) To promote Eco-tourism.

(x) To protect and improve environmental assets of the city such as, riverfront, ridge, city forests, banks of major drains, etc.

(xi) To promote other related activities as maybe considered appropriate by the Foundation

04. CONSTITUTION OF THE FOUNDATION:

The Governing Body of the Foundation shall comprise the following members.

1.	Hon'ble L.G., Delhi.	Chairman
2.	Vice-Chairman, DDA	Vice-Chairman
3.	Chief Secy., NCTD	Member
4.	Vice-Chancellor, Delhi University or his Nominee	Member
5.	Engineer Member, DDA	Member
6.	Finance Member, DDA	Member
7.	Joint Secretary, MOUD, GOI	Member
8.	Director CEMDE	Member
9.	Commissioner (Plg.), DDA	Member
10.	Secretary (Environment & Forest)GNCTD	Member
11.	Director (Landscape), DDA	Member Secy.

1134 GI/05-3

In addition the Foundation shall co-opt members from eminent Scientists, Botanists, Zoologists, Landscape Architects, Environmental Planners, Experts from IARI and other such Institutions/NGO's and renowned citizens. However the number of Co-opted members should not be more than four.

05. FUNCTIONS OF THE FOUNDATION:

The Foundation shall perform the following functions:

a) Advise the Authority in respect of any alterations ,modifications or relaxations under the regulations as may be considered necessary for creation, protection, conservation, preservation or retention of ecological systems, aesthetical cultural quality of any biodiversity sites in the area of the Capital city, and related matters.

b) Establishment of biodiversity parks for conservation of Bio Diversity having ecological, cultural, educational, aesthetical and recreational benefits for the society at large. Such sites will also serve as Nature Reserves and Field Laboratories for short and long-term research.

c) To do all such other acts and things, either alone or in conjunction with other organizations or persons, as the Foundation may consider incidental or conducive to the attainment of the objectives.

d) To perform any other functions as may be decided by the Authority from time to time.

06. MEETING OF THE FOUNDATION:

The meetings of the Foundation shall be held as and when required. The Foundation shall have the power to regulate its own procedure. The Director (Landscape) as Member Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow-up actions.

07. POWERS OF THE CHAIRMAN OF THE FOUNDATION:

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However, they shall be subject to the confirmation of the Foundation in its next meeting.

08. POWERS OF THE VICE CHAIRMAN OF THE FOUNDATION:

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the Foundation.

09. POWERS OF THE MEMBER SECRETARY OF THE FOUNDATION

The Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Foundation.

10. CONSTITUTION OF COMMITTEES:

a) Executive Committee

For smooth day to day functioning of the Foundation there shall be an Executive Committee comprising of the following members:

i. Vice Chairman DDA	Chairman
ii. Finance member DDA	Member
iii. Engineer member DDA	Member
iv. Director CEMDE	Member
v. Director (Landscape) DDA	Member Secretary

The Executive Committee will exercise such powers as may be delegated to it by the Foundation.

b) The Foundation may constitute a Technical Advisory Committee comprising of experts and eminent citizens to render advice on different projects and other aspects pertaining to the objectives and functions of the Foundation.

c) The Foundation may, in addition, constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the Foundation from time to time.

11. BUDGET, FINANCE & ACCOUNTS:

i) The expenses for setting up the Foundation and its operational activities shall be met by the Delhi Development Authority, Grants and Loans given by Govt. of India, G.N.C.T.D./Local Bodies and donations, etc.

ii) The revised and budget estimates in respect of the Foundation shall be placed before the Authority for its approval.

iii) Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to Bio Diversity Foundation account.

iv) The Foundation shall maintain proper Accounts and other relevant records and prepare annual statement of Accounts including the balance sheet in such form as the Authority may prescribe.

12. OPERATION OF ACCOUNTS:

The Account of the Foundation shall be operated by an officer so authorized by the Finance Member.

13. POWERS TO INCUR EXPENSES:

The Foundation shall have the power to sanction such expenses from time to time, as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the Foundation.

14. POWERS FOR ENGAGEMENT OF STAFFS

All Ministerial Staff and Accounts Staff will be posted in the Bio-Diversity Foundation by redeployment of DDA's existing staff. However, the Scientific personnel will be on contract basis who will be selected by the Committee to be nominated for the purpose by the Hon'ble Ltd.Governor, Delhi.

15. AUDIT:

The Audit of Accounts of the Foundation shall be conducted as per the DDA Act 1957.

16. HONORARIUM FOR ATTENDING MEETINGS:

The non-official members will be given an honorarium as may be decided from time to time for attending the meetings of the Foundation.

17. DISPUTES:

The decision of the Lt. Governor, Delhi who is the Chairman of the Foundation on any dispute shall be the final.

18. LEGAL PROCEEDiNGS:

No suit against the Foundation shall lie in any Court outside the NCT, Delhi.

19. APPLICABILITY OF DDA ACT, 1957

The provisions of the Delhi Development Authority Act 1957, as amended from time to time will apply.

20. REPEAL AND SAVING:

On and from the date of commencement of these bye-laws, all existing rules governing the Foundation shall stand repealed Provided that the above repeal shall not affect the actions already taken for the Foundation.

[No. PA/Dir. (LS)/2005/273]

V.M. BANSAL, Pr. Commr-Cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.